

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़****पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 050/2022 (GCMS 2022/254)	दायर दिनांक 10.08.2022	निर्णय दिनांक 30.08.2022
--	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

राम लाल मीणा निवासी टी 2/14 एल, अणु किरण कॉलोनी,  
रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांट****बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),  
चित्तौड़गढ़

**रेस्पोंडेंट**

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

**--:: निर्णय ::--**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.06.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./050/2022(सू.अ.)(24.08.2022)/625 दिनांक 10.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 24.08.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 24.08.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक 24.08.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त



कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/811 दिनांक 22.08.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी श्री राम लाल मीणा निवासी टी 2/14 एल, अणु किरण कॉलोनी, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 23.06.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 29.06.2022 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना विकास अधिकारी, भैंसरोड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/275 दिनांक 05.07.2022 से विकास अधिकारी, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया है, जो कि अधिनियम के अनुसार निर्धारित कार्यदिवसों में अन्तरित की गई है।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत करवा दिये जाने के उपरान्त वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/811 दिनांक 22.08.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विकास अधिकारी, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने के कारण अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/275 दिनांक 05.07.2022 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, तो वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे



आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र द्वारा वांछित सूचना विकास अधिकारी, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा से संबंधित होने से अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को विकास अधिकारी, भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **30.08.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
30.08.2022